

उत्तर प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of the Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद
Provincial Division, PWD, Firozabad



निरीक्षण भवन प्रांगण, थाना रसूलपुर के
पास, फिरोजाबाद-283203
Inspection House Compound,
Near Thana Rasulpur, Firozabad-283203
E-mail :- pwwfdz92@gmail.com

पत्रांक :- 1098C / 2025-26

दिनांक :- 16/05/25

भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

महोदय,

अवगत कराना है कि उक्त विषयक विद्यालय का सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण निरीक्षण किया गया तो तकनीकी बिन्दु व जांच आख्या का विवरण निम्न है:-

दो मंजिल / प्रथमतल (मूलतल) भवन हेतु चैकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	भवन एक मंजिली है अथवा दो मंजिल	दो मंजिल
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 है। (4000 वर्ग मी० है)	6×15मी
3.	क्या भवन में पार्किंग की समुचित व्यवस्था है।	हाँ
4.	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।	हाँ
5.	कक्षा मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है।	हाँ
6.	क्या भवन की छत आर०सी०सी० से बनी है? यदि नहीं तो छत के निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी है।	हाँ
7.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं।	हाँ
8.	क्या भवन की दीवारें / छतों में क्रैक हैं।	नहीं
9.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है।	3.60 मी०
10.	क्या विद्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० ऊँचाई 4.5 मी० है।	हाँ
11.	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हाँ
12.	क्या कक्षा न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
13.	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी०, ऊँचाई 2.0 मी० है)	हाँ
14.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी०, ट्रेड 300 मि०मी० तथा राइजर 150 मि०मी० है।	हाँ
15.	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 22.50मी० है।	<22.50
16.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	-
17.	क्या भवन से मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है।	हाँ
18.	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं।	हाँ
19.	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी० तथा होरीजेन्टल दूरी 1.2 मी० है।	हाँ
20.	क्या भवन में विद्युत की हाई बोल्टेज लाईन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 2.0 मी० है।	-
21.	क्या पुरानी विद्युत वाइरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई०एस०आई० मार्क सामग्री बदले गये हैं।	हाँ

अतः उक्त भवन राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित बिन्दुओं के अधीन प्रथम दृष्टया उचित पाया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
फिरोजाबाद

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय माँ अंजनी पब्लिक एटा रोड, शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक....16.05.25...को किया गया। विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। विद्यालय भवन सभी दृष्टि से सुरक्षित एवं मजबूत है।


अभिषेक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
फिरोजाबाद